प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0)

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA (PMFBY)

UIN:IRDAN126P0001V01201617

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य में खरीफ 2019 में लागू

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) को मौसम खरीफ 2019 में लागू करने संबन्धी राज्य अधिसूचना जारी कर दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में योजना के कियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ए0आई0सी0) को अधिकृत किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, संसूचित फसलें, जिले, बीमा की इकाई एवं बीमित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

फसल	ज़िला	बीमा की इकाई	बीमित राशि (रु0)
चावल	उधमसिंहनगर, नैनीताल मैदानी, हरिद्वार एवं देहरादून मैदानी	न्यायपंचायत / Clubbed न्यायपंचायत	**बीमित राशिः** ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा राशि प्रति हेक्टेयर संसूचित फसल के ऋण वित्तमान के अनुसार होगी। ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि ऋण वित्तमान को संसूचित फसल के क्षेत्रफल से गुणा करके निर्धारित किया जायेगा तथा गैर ऋणी कृषकों की बीमित राशि सम्बन्धित कृषक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल को ऋण वित्तमान से गुणा करके बीमित राशि निकालकर आच्छादन किया जायेगा।
चावल एवं मण्डुवा	देहरादून पर्वतीय, पौडी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ, चम्पावत, एवं नैनीताल पर्वतीय	तहसील / Clubbed तहसील	

मौसम खरीफ 2019 में बीमा के लिए जिलेवार/फसलवार कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर एवं बीमित राशिः

फसल चावल के लिए बीमित राशि एवं कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर					फसल मण्डुवा के लिए बीमित राशि एवं कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर		
क्र. सं.	संसूचित जनपद	बीमित राशि (₹ /हे.)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम (%)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम (₹ /हे.)	बीमित राशि (₹ /हे.)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम (%)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम (₹ /हे.)
1	चमोली	43663	2.00	873.26	23500	2.00	470.00
2	देहरादून(पर्व)	68500	2.00	1370.00	28300	2.00	566.00
3	देहरादून(मै0)	68500	2.00	1370.00	--------	--------	--------
4	हरिद्वार	85800	2.00	1716.00	--------	--------	--------
5	पौड़ी गढ़वाल	42000	2.00	840.00	27500	2.00	550.00
6	रूद्रप्रयाग	44400	1.50	666.00	24000	2.00	480.00
7	टिहरी गढ़वाल	40000	2.00	800.00	40000	2.00	800.00
8	उत्तरकाशी	76103	2.00	1522.06	37163	2.00	743.26
9	अल्मोड़ा	48570	2.00	971.40	29153	1.00	291.53
10	बागेश्वर	41750	1.00	417.50	19700	1.10	216.70
11	चम्पावत	50563	1.00	505.63	40335	1.00	403.35
12	नैनीताल(पर्व0)	72750	1.10	800.25	42325	1.10	465.58
13	नैनीताल(मै0)	75000	2.00	1500.00	--------	--------	--------
14	पिथौरागढ़	42777	1.00	427.77	44285	1.00	442.85
15	ऊधमसिंहनगर	79000	1.65	1303.50	--------	--------	--------

बीमा करने की प्रकियाः– संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसल के लिए **दिनांक 15.07.2019** तक ऋण वित्तमान के अनुसार स्वीकृत ऋण / वितरित ऋण का शतप्रतिशत (कृषकों का ऋण खाता **01.04.2019 से 15.07.2019** के मध्य क्रियाशील है अथवा संबन्धित अवधि में कृषक द्वारा संसूचित फसल के लिये नये के.सी.सी. के माध्यम से फसली ऋण लिया गया है।) वित्तीय संस्थाओं अथवा सहकारी समितियों द्वारा योजना के अंतर्गत नियमानुसार **अनिवार्य रूप से बीमित किया जाना है।** जिन कृषक भाइयों ने ऋण नहीं लिया है, वे बैंक की किसी निकटस्थ भाखा, सहकारी समिति (जहां उनका बचत खाता है), कामन सर्विस सेंटर **(CSC)**, ए0आई0सी0 के प्रतिनिधि / कार्यालय अथवा अधिकृत इन्टरमीडियरीज को प्रस्ताव पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र तथा प्रीमियम राशि उपरोक्तानुसार निश्चित तिथि दिनांक **15.07.2019** तक जमा कराके अपनी संसूचित फसल का बीमा करवा सकते है। **योजना के प्राविधान के अनुसार कृषकों को योजना का लाभ वित्तीय संस्थाओं की शिथिलता / गलती / भूलचूक के कारण नहीं मिल पाता है तो क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए सीधे वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी।**

Premium from eligible farmers account must be debited/collected before or upto the cut-off date i.e. 15-07-2019. The concerned Bank Branches/Financial Institutions must enter the insured farmers details in GOI crop insurance portal (www.pmfby.gov.in) on compulsory basis before or upto **31-07-2019. Only farmer whose data is entered on the National Crop Insurance Portal (www.pmfby.gov.in) shall be eligible for insurance coverage.** Financial Institutions will remit Premium through NEFT/RTGS only **(Axis Bank A/c– 093010200004992, IFS Code- UTIB0000093),** favoring Agriculture Insurance Company of India Limited payable at Dehradun **before or upto 31-07-2019.**

सत्यमेव जयते
Government of India

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2019 में लागू

उत्तराखण्ड शासन

UIN: IRDAN126P0002V02200708

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित

लागत, मेहनत, फसल को ऐसे न गवायें, पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अपनायें

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2010 से खरीफ 2018 तक कृषकों द्वारा प्राप्त प्रीमियम रु0 44.52 करोड के सापेक्ष रु0 138.40 करोड की क्षतिपूर्ति राशि 175329 लाभान्वित कृषकों के लिए सबन्धित बैंकों एवं सीधे तौर पर निर्गत की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम खरीफ–2019 से सम्बन्धित अधिसूचना जारी कर दी गयी है। योजनान्तर्गत मौसमी कारकों यथा–अधिक तापमान, वर्षा की कमी, अधिक वर्षा एवं वर्षा का पैटर्न (Consecutive Dry Days) के विपरीत प्रभाव से आलू, अदरक, टमाटर, फ्रेंचबीन्स एवं मिर्च की फसल में पैदावार की सम्भावित हानि के कारण कृषकों को होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई नियमानुसार की जाती है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश में मौसम खरीफ–2019 में योजना के कियान्वयन हेतु निम्न जिलों में ए0आई0सी0 को अधिकृत किया गया है। संसूचित फसलें, जिले, बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का विवरण निम्नानुसार है:

संसूचित फसलें	आलू		टमाटर		अदरक		फ्रेंचबीन		मिर्च	
बीमित राशि (रू0 / हे0)	*75000/-* प्रति हे0		*75000/-* प्रति हे0		*100000/-* प्रति हे0		*60000/-* प्रति हे0		*60000/-* प्रति हे0	
District	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु0 / हे0)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु0 / हे0)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु0 / हे0)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु0 / हे0)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रु0 / हे0)
अल्मोड़ा	5.00	3750	4.00	3000	5.00	5000	4.00	2400	4.00	2400
बागे वर	5.00	3750	4.00	3000	5.00	5000	4.00	2400	4.00	2400
नैनीताल पर्वतीय	5.00	3750	4.00	3000	5.00	5000	4.00	2400	4.00	2400
नैनीताल मैदानी	--------	--------	--------	--------	5.00	5000	--------	--------	--------	--------
पिथौरागढ	5.00	3750	4.00	3000	5.00	5000	4.00	2400	4.00	2400
चम्पावत	5.00	3750	4.00	3000	5.00	5000	4.00	2400	4.00	2400
देहरादून पर्वतीय	5.00	3750	5.00	3750	5.00	5000	4.00	2400	4.00	2400
देहरादून मैदानी	--------	--------	--------	--------	5.00	5000	--------	--------	--------	--------
पौड़ी	5.00	3750	4.00	3000	4.00	4000	4.00	2400	4.00	2400
उत्तरकाशी	5.00	3750	5.00	3750	4.00	4000	4.00	2400	4.00	2400

नोटः उपरोक्त प्रीमियम दर नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सीडाइजड है।

बीमा करने की प्रकियाः ऐसे समस्त कृषक (यथा–**ऋणी कृशक)** जिनके द्वारा संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों (आलू, टमाटर, अदरक, फ्रेंचवीन्स एवं मिर्च) उगाई जा रही है, तथा उनकी वित्तीय संस्थानों जैसे सहकारी समितियों, व्यवसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंको से ऋण की सीमा दिनांक **31 / 05 / 2019 तक अनुमोदित / स्वीकृत की गई है** तथा कृषकों का ऋण खाता **31.05.2019** तक कियाशील है तथा कृषक द्वारा संबन्धित मौसम खरीफ–2019 एवं संसूचित फसलों के लिए **31.05.2019** तक नये के.सी.सी. के माध्यम से फसली ऋण लिया गया है का **नियमानुसार अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है।** जिन कृषक भाइयों ने ऋण नही लिया है यथा– अऋणी कृषक, वे बैंक की किसी निकटस्थ शाखा / सहकारी समिति (जहां उनका बचत खाता है), ए0आई0सी0 के प्रतिनिधि तथा कार्यालय अथवा अधिकृत बीमा इन्टरमिडियरिज / कामन सर्विस सेंटर (CSC) के द्वारा प्रस्ताव पत्र, आवश्यक प्रपत्र यथा– आधार कार्ड, भूमि संबन्धित दस्तावेज एवं बैंक खाता के संबन्ध में प्रपत्र तथा प्रीमियम राशि निश्चित तिथि दिनांक 31.05.2019 तक जमा कराके अपनी संसूचित फसल का बीमा करवा सकते है। **ए0आई0सी0 को बैंको से ऋणी / अऋणी कृषकों का प्रीमियम–NEFT/RTGS के माध्यम से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 जून 2019 है।**

Premium from eligible farmers account must be debited/collected before or upto the cut-off date i.e. 31-05-2019. The concerned Bank Branches/Financial Institutions must enter the insured farmers details in GOI crop insurance portal (www.pmfby.gov.in) on compulsory basis before or upto 15-06-2019. Only farmer whose data is entered on the National Crop Insurance Portal (www.pmfby.gov.in) shall be eligible for insurance coverage. **Financial Institutions will remit** Premium through NEFT/RTGS only (Axis Bank A/c–093010200004992, IFS Code- UTIB0000093), favoring Agriculture Insurance Company of India Limited payable at Dehradun before or upto 15-06-2019.

योजना के प्राविधान के अनुसार कृषकों को योजना का लाभ वित्तीय संस्थाओं की शिथिलता / गलती / भूलचूक के कारण नहीं मिल पाता है तो क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए सीधे वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। दावा भुगतान योजना के प्रावधान एवं राज्य अधिसूचना एवं टर्मशीट के अनुसार नियमानुसार आंकलित / निर्गत किया जायेगा। **योजनान्तर्गत नियमानुसार कृषकों को क्षति से सम्बन्धित सूचना ए0आई0सी0 को देने की आवश्यक ता नही है।**

किसान भाई योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये शासनादेश देखें अथवा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा, जिला उद्यान अधिकारी / क्षेत्रीय उद्यान विभाग की मोबाईल टीम / बैंक की शाखा / निकटतम् सहकारी समिति या निम्न पते पर सम्पर्क करें।

शिकायत के मामले में निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें (दूरभाषः 0135–2740244, टोल–फ्री–1800 116 515)

ए0आई0सी0 के वेबसाइट–www.aicofindia.com के माध्यम से शिकायत आनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है।

In case of Grievance, please contact the Grievance Redressal Officer at phone no. 0135-2740244, Grievance can also be registered on-line by visiting our website: http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance_Home.aspx or on toll free helpline no. 1800-116-515

कृषक यत्न रक्षणम्
www.aicofindia.com

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय : 56, राजपुर रोड़ (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड।
फोन / फैक्स 0135–2740233 / 44 ई मेल–ro.dehradun@aicofindia.com
प्रधान कार्यालय : प्लेट बी व सी, पांचवा तल, ब्लाक–1, ईष्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110001

सम्पन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।

CIN:U74999DL2002PLC118123
No. of Printed Copies : 1000
AIC/UK/PUB/RWBCIS/1(B)(ii)/02/Kharif/2019

क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/दावा भुगतान की प्रकिया

(अ) फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित): व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदा सूखा, सूखे की अवधि, जलप्लावन, व्यापक आधार पर कीट एवं व्याधियों का प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण सम्बन्धित बीमा इकाई क्षेत्र में फसल की ऊपज में कमी होने से नियमानुसार क्षतिपूर्ति देय होती है। इसके लिए कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये फसल कटाई प्रयोग द्वारा प्राप्त उत्पादकता के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

(ब) बुवाई नही हो पाने की स्थिति में (क्षेत्र आधारित): अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसमी कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण संसूचित क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25% तक का दावा भुगतान नियमानुसार किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% क्षेत्रफल पर बुवाई नही होती है। लेकिन इस व्यवस्था के अन्तर्गत दावा भुगतान के पश्चात् सम्बन्धित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए पात्र नहीं होंगे। संबन्धित स्थिति यदि 31 जुलाई 2019 तक होती है, तो संबन्धित प्राविधान लागू होगा।

(स) फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में (क्षेत्र आधारित): फसल की अवधि में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे–बाढ़, लम्बे सूखे की दशा, भयंकर सूखा आदि होती है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान नियमानुसार किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित ऊपज, थ्रेशहोल्ड ऊपज के 50% से कम है। संबन्धित स्थिति यदि सामान्य फसल कटाई के 15 दिन पूर्व होती है तो सम्बन्धित प्राविधान लागू नहीं होगा।

(द) स्थानीय आपदाओं के मामले मे क्षति का आंकलन: स्थानीय जोखिमों यथा जलप्लावन (केवल फसल मण्डुवा हेतु, फसल धान के लिये लागू नहीं), ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, तथा आकाशीय बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग के मामलों में व्यक्तिगत आधार पर नियमानुसार क्षति का आंकलन किया जायेगा। इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे सम्बन्धित वित्तीय संस्था, ज़िला कृषि विभाग एवं ए0आई0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून/टोल–फ्री नम्बर पर तत्काल तथा अनिवार्य रूप से 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण तथा समय आदि सहित सूचित करेंगे। योजना के प्राविधान एवं राज्य अधिसूचना के अनुसार स्थानीय आपदाओं की स्थिति, यदि सामान्य फसल कटाई के 15 दिन पूर्व होती है तो सम्बन्धित प्राविधान लागू नहीं होगा।

(य) फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिये बिखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण: प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसमी बारिश एवं ओलावृष्टि के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए बिखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी नियमानुसार आंकलन किया जायेगा। इन जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 72 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे।

विस्तृत जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा ज़ारी प्रशासनिक/परिचालन दिशा–निर्देश तथा राज्य सरकार द्वारा ज़ारी शासनादेश देखें। किसान भाई योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, जिला कृषि विभाग, निकटतम सहकारी समिति या बैंक की शाखा अथवा निम्न पते पर सम्पर्क करें।

शिकायत के मामले में निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें (दूरभाष:0135–2740244, टोल–फ्री–1800 116 515) ए0आई0सी0 के वेबसाइट के माध्यम से http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance_Home.aspx पर शिकायत आनलाइन पंजीकृत की जा सकती है।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय : 56, राजपुर रोड़ (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड।
फोन/फैक्स 0135–2740233/44 ई मेल–ro.dehradun@aicofindia.com
प्रधान कार्यालय : प्लेट बी व सी, पांचवा तल, ब्लाक–1, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

कृषक यत्न रक्षणम्
www.aicofindia.com

सम्पन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।

CIN: U74999DL2002PLC118123

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।

No. of Printed Copies : 8000 AIC/UK/PUB/PMFBY/1(B)/(ii)/03/Kharif 2019